

RBI ने AIF में ऋणदाताओं के लिये मानदंड मज़बूत किये

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में **बैंकों**, **गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** जैसी **वनिियमति संस्थाओं (REs)** को तनावग्रस्त ऋणों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक कदम उठाया है और अन्य ऋणदाताओं को **वैकल्पिक नविश कोष (AIFs)** की किसी भी योजना में नविश नहीं करना चाहिये, जिसमें देनदार कंपनी में अनुप्रवाह (downstream) नविश हो।

- **वनिियमति संस्थाएँ (REs)** अपने नविमति नविश पर्यालन के हसिसे के रूप में AIF की इकाइयों में नविश करती हैं। हालाँकि, RBI ने कहा कि AIF से जुड़ी वनिियमति संस्थाओं के कुछ लेन-देन, **नयिमक चतिताओं** को बढ़ाते हैं।

AIF से संबंधित वनिियमति संस्थाओं के लिये आरबीआई के हालिया नरिदेश क्या हैं?

- आरबीआई ने **उधारकर्त्ताओं को दिये गए प्रत्यक्ष ऋण को वनिियमति संस्थाओं द्वारा AIF इकाइयों में नविश के साथ बदलने पर ज़ोर दिया**, जो अप्रत्यक्ष रूप से उधारकर्त्ताओं से जुड़ा हुआ है। इससे ऋण को दवालिया के रूप में
- करने से बचने के लिये **एवरग्रीनगि लोन** की प्रथा के बारे में चतिताएँ बढ़ गईं।
 - **“एवरग्रीनगि लोन”** एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक ऋणदाता उसी उधारकर्त्ता को अधिक ऋण देकर उस ऋण को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है जो दवालियापन के कगार पर है या डफ़ॉल्ट की स्थिति में है।
- आरबीआई का **नरिदेश स्पष्ट रूप से वनिियमति संस्थाओं को वनिियमति संस्थाओं से संबंधित देनदार कंपनियों में अनुप्रवाह नविश के साथ AIF योजनाओं में नविश करने से रोकता है।**
 - नरिदेश के अनुसार, ऐसे मामलों में जहाँ एक AIF जिसमें RE पहले से ही एक नविशक है तथा ऋणी कंपनियों में डाउनस्ट्रीम नविश करता है तो **RE को 30 दिनों के भीतर अपना नविश समाप्त करना होगा।**
 - यदि RE नरिधारित समय सीमा के भीतर अपने नविश को समाप्त करने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें **ऐसे नविश पर 100% प्रावधान** प्रदान करना होगा।
 - प्रावधान किसी कंपनी अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा भवषिय के प्रत्याशति व्यय अथवा हानियों को पाटने के लिये नरिधारित अथवा आरक्षति राशा है।

नोट:

डाउनस्ट्रीम नविश, AIF द्वारा नविशकों से जुटाए गए धन का उपयोग करके **कंपनियों में किये गए वास्तविक नविश** को संदर्भित करता है।

वैकल्पिक नविश नधि क्या है?

- **परचिय:** वैकल्पिक नविश नधि (Alternative Investment Funds- AIF) का तात्पर्य भारत में स्थापित अथवा गठित एक नधिसे है, **जेनजी तौर पर एकत्रित नविश तंत्र** के रूप में कार्य करता है।
 - यह एक वषिष नविश नीति के अनुसार नविश (**घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय**) करने के उद्देश्य से, परषिकृत नविशकों से धन एकत्रित करता है, जिससे अंततः अपने नविशकों को लाभ होता है।
 - ये नविश तंत्र **SEBI (वैकल्पिक नविश नधि) वनिियम, 2012** का अनुपालन करते हैं।
 - दसिंबर, 2023 तक, 1,220 AIF **भारतीय प्रतभित और वनिियम बोरड (SEBI)** के साथ पंजीकृत थे।
- **भारत में AIF के प्रकार:** SEBI ने AIF को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है-
 - **श्रेणी-I:** AIF के माध्यम से **स्टार्टअप, शुरुआती चरण के उद्यमों, सामाजिक पहल, SME, आधारभूत अवसंरचना** अथवा अधिकारियों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभकारी समझे जाने वाले क्षेत्रों में नविश किया जाता है।

- इसमें **उद्यम पूंजी** (Venture Capital), **सामाजिक उद्यम नधि** (Social Venture Funds), **अवसंरचना नधि** और कोई अन्य नरिदषिट वैकल्पिक नविश नधि शामिल हैं।
- **श्रेणी-II**: ऐसे AIFs जो **श्रेणी-I** और **III** के अंतर्गत नहीं आते और जो **दनि-प्रतदिनि** की परचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अन्य लेन-देन नहीं करते अथवा उधार नहीं लेते।
 - इनमें **रयिल एस्टेट फंड**, **प्राइवेट इक्विटी फंड (PE फंड)**, **डस्ट्रेस्ड ऐसेट फंड** और इसी तरह के अन्य फंड शामिल हैं।
- **श्रेणी-III**: AIFs जो **वविधि** या **जटलि व्यापारिक रणनीतियों** को नयोजित करते हैं तथा सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवटिव में नविश सहति लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
 - वभिनिन प्रकार के फंड जैसे **हेज फंड**, **PIPE (सार्वजनिक इक्विटी में नजी नविश) फंड** आदि श्रेणी-III AIF के रूप में पंजीकृत हैं।
- **वधिकि प्रारूप**: AIF को एक **न्यास/ट्रस्ट** या **कंपनी** अथवा **सीमति देयता भागीदारी** या **कॉर्पोरेट नकिय** के रूप में स्थापति कया जा सकता है।
 - सेबी के साथ पंजीकृत अधकिंश AIF **ट्रस्ट/न्यास** के रूप में हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rbi-strengthens-norms-for-lenders-in-aifs>

